5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

2 रु. COURT FEE INDIA TWO RUPEES

3/12.00

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 31.7.23 व आवाद
वाद संख्या T202304680703023 अन्तर्गत
धारा 80 उ०प्र० रा० सं० 2006 ग्राम सहादतपुर
परगना बरौना तहसील जयसिंहपुर सुल्तानपुर
वादी धर्मेन्द्र प्रबंधक प्रेमलता शिक्षा एजुकेशनल
एवं वेलफेयर ट्रस्ट बनाम सरकार न्यायालय
उपजिलाधिकारी (न्यायिक) जयसिंहपुर जिला
सुल्तानपुर ता० फै० 31.7.23

नोट: आदेश दिनांक 31.7.23 की प्रमाणित छाया प्रति फोटोकॉपी
के साथ संलग्न है

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर),न्यायिक
मण्डल :अयोध्या,जनपद :सुल्तानपुर,तहसील :जयसिंहपुर
वाद संख्या :-3023/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202304680703023
वंशीधर मिश्र प्रबंधक प्रेमलता मिश्रा एजूकेशनल एव वेलफेयर ट्रस्ट बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा– 80(1) उ0प्र0रा0सं0 2006 वादी बंशीधर मिश्र सुत चन्द्रशेखर मिश्र प्रबन्धक प्रेमलता मिश्रा एजुकेशनल एंव वेलफेयर ट्रस्ट नि0ग्रा0 पाण्डेयपुर मजरे सुरौली परगना बरौसा तहसील जयसिंहपुर द्वारा बावत् गाटा संख्या60मि / 0.1360, 62मि / 0.9785, 69 / 0.1640हे0 स्थित सहादतपुर परगना बरौसा तहसील जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु योजित किया गया।

वाद भूमि की जांच हेतु पत्रावली तहसीलदार जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर को भेजी गयी। वाद भूमि के संबंध में तहसीलदार जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक–19.05.2023 में उल्लिखित किया गया है कि बंशीधर मिश्र सुत चन्द्रशेखर मिश्र ग्राम पाण्डेयपुर मजरे सुरौली परगना बरौसा तहसील जयसिंहपुर सुलतानपुर ने ग्राम सहादतपुर परगना बरौसा तहसील जयसिंहपुर जिला सुलतानपुर स्थित भूखण्ड संख्या 60मि / 0.1360हे0, 62मि / 0.9785हे0, 69 / 0.1640हे0 कुल 1.2785हे0 भूमि को अकृषिक हेतु उद्घोषणा हेतु आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड प्रेमलता मिश्र एजुकेशनल एंव वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक बंशीधर मिश्र के अन्तर्गत संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। मौके पर भवन निर्माणाधीन है। उपरोक्त भूमि किसी महायोजना के अन्तर्गत नही है। वाद भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। वाद भूमि का श्रीमान जिलाधिकारी सुलतानपुर द्वारा निर्धारित सर्किल-रेट 3400000रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से वाद भूमि 1.2785×3400=4352000 / –रू0 होता है, का एक प्रतिशत देय धनराशि 43520–रू0 होता है। अन्त में वाद भूमि गाटा संख्या 60मि / 0.1360हे0, 62मि / 0.9785हे0, 69 / 0.1640हे0 कुल 1.2785हे0 स्थित ग्राम सहादतपुर परगना बरौसा को आकृषिक भूमि घोषित किये जाने की आख्या अग्रसारित करके प्रेषित की गयी है।

तत्पश्चात् वाद ग्रस्त भूखण्ड के संबंध में उपनिबन्धक जयसिंहपुर से मूल्यांकन आख्या प्राप्त की गयी। जिसमें उनके द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लिखित किया गया है कि सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क मु0: 53700–00रू0 तथा उद्घोषणा शुल्क के आवेदनों पर सर्किल रेट के अनुसार आगणित मूल्य का एक प्रतिशत व्यय शुल्क मु0: 53700–00रू0 होता है, की आख्या दी गयी है।

वादी को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् अनुशीलन किया गया। तत्पश्चात् मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि वाद भूमि बंशीधर मिश्र सुत चन्द्रशेखर मिश्र प्रबन्धक प्रेमलता मिश्रा एजुकेशनल एंव वेलफेयर ट्रस्ट नि0ग्रा0 पाण्डेयपुर मजरे सुरौली परगना बरौसा तहसील जयसिंहपुर के नाम संक्रमणीय भूमिधर बतौर

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर),न्यायिक
मण्डल :अयोध्या,जनपद :सुल्तानपुर,तहसील :जयसिंहपुर
वाद संख्या :-3023/2023
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202304680703023
वंशीधर मिश्र प्रबंधक प्रेमलता मिश्रा एजूकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सहखातेदार अंकित है। सहखातेदारो के मध्य बंटवारा हो चुका है। वादी द्वारा निर्धारित शुल्क मु0: 53700—रू0 सुसंगत कोष में जमाकर चालान नं0 GL00043 दिनांक 21 जुलाई 2023 की प्रति तथा इतनी ही धनराशि का भारतीय कोर्ट फी (स्टाम्प) संलग्न पत्रावलित है। वाद भूमि पर वादी द्वारा कृषि का कार्य नहीं किया जा रहा है। वाद भूमि का उपयोग व उपभोग वादी द्वारा अकृषिक रूप में किया जा रहा है। वाद में किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे वाद निर्विवाद है। वाद भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

ग्राम सहादतपुर परगना बरौसा तहसील जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर की खतौनी वर्ष 1430—1435फ0 के खाता संख्या—146 की गाटा संख्या 60मि / 0.1360, 62मि / 0.9785, 69 / 0.1640हे0 पर अंकित खातेदार बंशीधर मिश्र सुत चन्द्रशेखर मिश्र प्रबन्धक प्रेमलता मिश्रा एजुकेशनल एंव वेलफेयर ट्रस्ट नि0ग्रा0 पाण्डेयपुर मजरे सुरौली परगना बरौसा तहसील जयसिंहपुर को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक तहसील जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर को भेजी जाय। आदेश का अंकन खतौनी के विवरण कालम में होता रहेगा। तदानुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Kumar

(अरविन्द कुमार)
उपजिलाधिकारी(न्यायिक)
जयसिंहपुर—सुलतानपुर।
31·7·23

सत्य-प्रतिलिपि

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जयसिंहपुर-सुलतानपुर
31/7/23

292
31/7/23
12:00
31/7/23
31/7/23

पृष्ठ संख्या :